रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-73

REGISTERED No. D-(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 30, 1977/श्रावण 8, 1899

No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 30, 1977/SRAVANA 8, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली 27 मई, 1977

सा० का० नि० 982.—केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 27 के नियम 8ख के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1412, तारीख 25 नवम्बर, 1960 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में उत्तर प्रदेश से संबंधित मद 13में उपमद (क) के सामने स्तम्भ (2) में खण्ड (ii) और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) श्री वी० डी० सिंह,

अपर ज्येष्ठ केन्द्रीय सरकार स्टेंडिंग कौंसिल उच्च न्यायालय"

यह अधिसूचना 1 जून, 1977 से प्रवृत्त होगी।

[सं० फा० 38(1)/77-न्या०]

पी० के० बोस, सालीसीटर

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 27th May, 1977

G.S.R. 982.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of rule 8B of Order XXVII of the first Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) the Central Govt. hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the late Ministry of Law (Department of Legal Affairs) No. G.S.R. 1412, dated the 25th November, 1960, namely :—

In the Schedule to the said notification, in item 13 relating to Uttar Pradesh, against sub-item (a) in column (2), for clause (*ii*) and the entry relating thereto the following shall be substituted, namely :—

"(*ii*) Shri V. D. Singh,

Additional Senior Central Government Standing Counsel, High Court.".

This notification shall come into force with effect from the 1st day of June, 1977.

[No. F. 38(1)/77-Judl.]

P. K. BOSE, Solicitor

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 मई, 1977

सा० का० नि० 1000—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त प्रधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, दूरदर्शन महानिदेशालय में समूह 'घ' के पदों की भर्ती पद्धति के विनियमन हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ :—अर्थात (1) इन नियमों को दूरदर्शन (समूह 'घ' पद) भर्ती नियमावली, 1977 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :-पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में दिए अनुसार होंगे

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उक्त पदों से संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक में दिए अनुसार होंगे ।

4. अनर्हताएं : —ऐसा कोई भी व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या करने का करार किया हो जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो, या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या करने का करार किया हो,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत अनुज्ञेय है और ऐसा किए जाने के कोई अन्य कारण नहीं है, तो वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है ।

5. छूट देने की शक्ति :—जहा केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है, वहा वह लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों को इन नियमों के किसी भी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

6. अपवाद :—इन नियमों की किसी बात का, इस संबंध से केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशिष्ट वर्गों के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. गेस्टेटनर आपरेटर (जूनियर स्केल)	1	सामान्य केन्द्रीय सेवाएं समूह 'घ'	210-4-250-द०रो०-5-270 रुपये	अप्रवरण	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति व्यक्तियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती पद्धति—सीधी भर्ती से या प्रतिनियुक्ति से या स्थानांतरण से तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण से भर्ती किए जाने पर वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाता है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसका गठन क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना है
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	7 वर्ष	वरिष्ठता व योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ।	उन जमादारों और दफ्तरियों में से पदोन्नति द्वारा जिनकी ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा हो और जो मशीन चलाने में दक्ष हों	(1) प्रशासन उप-निदेशक, दूरदर्शन महानिदेशालय—अध्यक्ष (2) उप निदेशक (प्रशासन)—सदस्य (दूसरी मीडिया यूनिट से बाहरी सदस्य) (3) अनुभाग अधिकारी, दूरदर्शन महानिदेशालय (प्रशासन अनुभाग)—सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
2 दफ्तरी	7	सामान्य केन्द्रीय सेवाएं	200-3-206-4-234-द०रो०-4-250 रुपए	अप्रवरण	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
3. जमादार	1	-तदैव-	200-3-206-4-234-द०रो०-4-250 रुपए	अप्रवरण	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
4 चपरासी	19	-तदैव-	196-3-220-द०रो०-3-232 रुपए	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच	शैक्षिक : मिडिल स्कूल या समकक्ष परीक्षा पास

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	वरिष्ठता व योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा	उन चपरासियों में से पदोन्नति द्वारा जिनकी ग्रेड में कम-से-कम 3 वर्ष की सेवा हो।	(1) प्रशासन-उप-निदेशक, दूरदर्शन महानिदेशालय—अध्यक्ष (2) उप-निदेशक (प्रशासन)—सदस्य दूसरी मीडिया यूनिट से बाहरी सदस्य)। (3) अनुभाग अधिकारी, दूरदर्शन महानिदेशालय (प्रशासन अनुभाग)—सदस्य	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	वरिष्ठता व योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा	उन चपरासियों में से पदोन्नति द्वारा जिनकी ग्रेड में कम से कम 3 वर्ष की सेवा हो	(1) प्रशासन उप-निदेशक, दूरदर्शन महानिदेशालय—अध्यक्ष (2) उप-निदेशक (प्रशासन)—सदस्य (दूसरी मीडिया यूनिट से बाहरी सदस्य) (3) अनुभाग अधिकारी, दूरदर्शन महानिदेशालय (प्रशासन अनुभाग)—सदस्य	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	75% सीधी भर्ती द्वारा 25% स्थानान्तरण द्वारा	उन स्वीपरों, फराशों, चौकीदारों इत्यादि में से जो चपरासी के पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हताएं नहीं रखते हों, किन्तु जो प्राथमिक साक्षरता रखते हों और हिन्दी में पढ़ने की योग्यता का प्रमाण दें और जिनकी अपने ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो, सरल लिखित परीक्षा के आधार पर 25 प्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
5. सिक्यूरिटी गार्ड	4	सामान्य केन्द्रीय सेवाएं, समूह 'घ'	196-3-220-द०रो०-3-232 रुपए	लागू नहीं होता	18—35 वर्ष के बीच	शैक्षिक : 8वीं या समकक्ष परीक्षा पास। जिन भूतपूर्व सैनिकों के पास द्वितीय श्रेणी पास सेना शिक्षा प्रमाणपत्र होगा या जो 8वीं कक्षा पास होंगे वे भी इसके लिए पात्र होंगे। अन्य अर्हताएं : ऐसे भूतपूर्व सैनिक हों जिनकी थल सेना, नौसेना या पैरा-ट्रूप में कम-से कम 6 साल की सेवा हो और उनके सेना छोड़ने के प्रमाण-पत्र में चरित्र का 'अनुकरणीय' या 'बहुत अच्छा' मूल्यांकन हो। या (2) ऐसे भूतपूर्व पुलिस कर्मचारी जिनकी केन्द्रीय या राज्य पुलिस सेवा में कम-से-काम 6 वर्ष की सेवा हो और पुलिस सेवा का अच्छा रिकार्ड हो।
6. फराश	2	सामान्य केन्द्रीय सेवाएं, समूह 'घ'	196-3-220-द०रो०-3-232 रुपये	लागू नहीं होता	18 से 25* वर्ष के बीच	वांछनीय : प्राइमरी स्कूल स्तर पास
7. स्वीपर	2	-तदैव-	-तदैव-	लागू नहीं होता	-तदैव-	वांछनीय : प्राइमरी स्कूल स्तर पास

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	3 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

*अनुसूची के कालम 6 में निर्दिष्ट आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि प्रत्येक मामले में भारत के प्रार्थियों से (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के प्रार्थियों को छोड़ कर) आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि होगी।

[संख्या 501/6/76-टी० वी०]

वी० कृष्णन, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 9th May, 1977

G.S.R. 1000.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'D' posts in the Directorate General, Doordarshan, namely :—

(1) Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Doordarshan (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(2) Number, Classification and Scale of Pay.—The number of posts, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

(3) Method of Recruitment, age limit and qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

(4) Disqualification.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are no other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

(5) Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

(6) Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational & other qualifications required for the direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestetner Operator (Junior scale)	1	General Central services, Group 'D'.	Rs. 210-4-250-EB-5-270	Non-selection	Not applicable	Not applicable.
2. Daftry	7	General Central Services, Group 'D'	Rs. 200-3-206-4-234-EB-4-250	Non-selection	Not applicable	Not applicable.
3. Jamadar	1	General Central Services, Group 'D'	Rs. 200-3-206-4-234-EB-4-250	Non-selection	Not applicable	Not applicable.

Whether age and Educational qualifications Prescribed for direct recruits will apply in the case of promoties	Period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by deputation, transfer and percentage of the vacancies to be filled by various method	In case of rectt. by promotion/deputation transfer grade which promotion deputation transfer to be made	If DPC exists what is its compositions	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By promotion on the basis of seniority-cum-fitness.	Promotion from Jamadar and Daftries who have put in 3 years service in the grade and have proficiency in handling machine.	(1) Dy. Director of Admn. DG Doordarshan—Chairman. (2) Dy. Director (Admn. —Member (outside member from another media units). (3) Section Officer-DG: Doordarshan (Admn. Section) Member.	Not applicable
Not applicable	2 years	By promotion on the basis of seniority-cum-fitness.	Promotion from peons with at least three years' service in the grade.	(1) Dy. Director of Admn. DG : Doordarshan—Chairman. (2) Dy. Director (Admn.) —Member (outside member from another media units) (3) Section Officer— DG : Doordarshan (Admn. Section)—Member.	Not applicable
Not applicable	2 years	By promotion on the basis of seniority-cum-fitness	Promotion from Peons with at least three years' service in the grade.	(1) Dy. Director of Admn. DG : Doordarshan—Chairman. (2) Dy. Director (Admn) —Member (outside member from another media units) (3) Section Officer— DG : Doordarshan (Admn. Section)—Member.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
4. Peon	19	General Central Services, Group 'D'	Rs. 196-3-220-EB-3-232	Not applicable	Between 18 and 25 years.	Middle school standard Pass or equivalent.
5. Security Guard	4	General Central Services, Group 'D'	Rs. 196-3-220-EB-3-232	Not applicable	Between 18 and 35 years.	Education : 8th standard Pass or equivalent. For ex-serviceman who has passed the second class Army certificate of education 10th Standard will be eligible. Other qualifications : (1) must be either ex-serviceman having a minimum of six years in the Infantry, Artillery or Paratroops and 'Exemplary' or 'very good' character assessment in their Army discharge certificate. OR (2) Ex-Police personnel having minimum of six years service in the Central or State Police Service and a good record of Police service.
6. Farash	2	General Central Services, Group 'D'	Rs. 196-3-220-EB-3-232	Not Applicable	Between 18 and 25 years.*	Desirable : Primary School standard Pass.
7. Sweeper	2	General Central Services, Group 'D'	Rs. 196-3-220-EB-3-232	Not Applicable	Between 18 and 25 years.	Desirable : Primary School standard Pass.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	75% by direct recruitment. 25% by transfer.	25% by transfer on the basis of a simple written test from the sweepers, frashes, chowkidars etc. who do not possess the qualifications prescribed for direct recruitment to the post of Peon but who possess elementary literacy and give proof of ability to read in Hindi and have put in five years service in their respective cadre.	Not applicable	Not applicable
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment.	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment.	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

*The crucial date for determining the age limit mentioned in Col. 6 of the Schedule will in each case be the last date of receipt of the application from candidates in India (Other than Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).

[No. 501/6/76-TV]

V. KRISHNAN, Under Secy.